न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **42/24 (वि.प्रा.पत्र)**

GCMS No : 2024/172

1. उदा पिता किशना उर्फ कना गाडरी, उम्र 60 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. पुरा पिता हेमाजी गाडरी, आयु 76 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. खुमाणी पत्नी किशना जी गाडरी, उम्र 80 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील जौच मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. गंगा पुत्री किशनाजी गाडरी, उम्र 50 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज.)
5. परथी पुत्री अमराजी गाडरी निवासी सुखवाडा तहसील मावली जिला उदयपुर।

............प्रार्थीगण

बनाम

1. उदा पिता हेमाजी गाडरी, उम्र 80 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
2. लच्छीराम पिता लेहरुजी गाडरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
3. हुडी पत्नी लेहरुजी गाडरी, उम्र 75 वर्ष, निवासी सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. पटवारी पटवार हल्का साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)

...............विपक्षीगण

उपस्थित—1. श्री ललित कुमार वसीटा, अधिवक्ता प्रार्थीगण ।
2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: निर्णय :—

दिनांक : 06.10.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सुखवाड़ा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज) के स्थाई मूल निवासी है, ग्राम सुखवाड़ा, पटवार हल्का साकरिया खेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.) मे आराजी खस[illegible] 190, 198, 206, 212, 218, 219, 225,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

226, 256 कुल किता 9 कुल क्षेत्रफल 1.6188 हैक्टेयर कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे हक हिस्से अनुसार हम प्रार्थीगण के नाम संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है, सहखातेदार अमरा पिता हीमा उर्फ देवाजी गाडरी लाऔलाद फौत हो चुके हैं जिनके वारिसान प्रार्थीगण है। तथा उक्त कृषि भूमि के हम प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व व हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग मे है।

2. यह कि हम प्रार्थीगण की संयुक्त स्वामित्व की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 के दक्षिण दिशा की तरफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 236, 239 व खसरा संख्या 246 चरागाह सरकारी भूमि है जो पूर्व से ही रास्ता हेतु उपयोग में चली आ रही है। हम वादीगण की अपनी कृषि भूमि के दक्षिण दिशा की तरफ उक्त तीनो खसरा नम्बर की जमीन जो आम सड़क से मिल रही है, उक्त तीनो खसरा नम्बर 236, 239 व खसरा संख्या 246 चरागाह सरकारी की भूमी मे से होकर अपनी संयुक्त खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 क्षेत्रफल 0.3076 हेक्टेयर में आने जाने, बैलगाडी, ट्रैक्टर इत्यादी लाने ले जाने हेतु आम सड़क से आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग सदीप से निर्बाध रुप से करते हुए आ रहे है, हम वादीगणो की कृषि भूमि मे आने जाने बैल, बैलगाडी, ट्रैक्टर इत्यादी लाने ले जाने हेतु एकमात्र निकटतम रास्ता स्थित है जिसका नक्शा ट्रेस सलंग्न किया गया है, नक्शा ट्रेस मे पूर्व दक्षिण की तरफ उक्त तीनो खसरा नम्बर 236, 239 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी व खसरा संख्या 246 चरागाह सरकारी की भूमि का जुज भाग (रास्ता) आम सडक से हम वादीगण की कृषि भूमि तक है. जिसे नक्शा ट्रेस में चिन्हित करा राजस्व रिकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

3. यह कि हम वादीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भुमि में आवागमन हेतु वर्तमान मे रास्ता आम सडक से उक्त तीनो खसरा नम्बर की भूमी में से होकर उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग वादीगण करते चले आ रहे हैं। राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज न होने एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी कृषि भूमि दर्ज होने से प्रतिवादीगण वादीगण की खातेदारी कृषि में प्रवेश करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। हम वादीगण को अपनी खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि मे आवागमन, बैल, बैलगाडी, मवेशी, ट्रेक्टर उन्य कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु भारी कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं। हम वादीगण के हित व सुविधा व सुखाधिकार को ध्यान में रखते हुए बिलानाम सरकारी रास्ते की रेकर्ड मे नियमानुसार चौडाई मे दर्ज करा मौके पर सुरक्षित कराया जावे जिस हेतु पार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आप माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

4. यह कि हम वादीगण के हितो व सुविधा हेतु हम वादीगण की खातेदारी अधिकार की कृषि भूमि खसरा संख्या 256 मे आवागमन हेतु उक्त तीनो आराजी संख्या 236, 239 व खसरा संख्या 246 चरागाह सरकारी भूमियों में से बिलानाम सरकारी रास्ते का नक्शा ट्रेस व राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। उक्त कृषि भूमि में से वादीगण की कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ता निकालने से वादीगण को मानसिक क्षति से निजात मिलेगी तथा वे अपनी कृषि भूमि को सही ढंग से उपयोग उपभोग कर पाऐंगे जिससे वादीगण के अधिकारों की रक्षा के लिये कानुनन वादीगण को अपनी उक्त कृषि भूमि में रास्ता दिलाया जावे। जिस हेतु राजस्थान काश्तकार अधिनियम की धारा 251 (ए) के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादीगण को राशि अदा करने को प्रार्थीगण तत्पर है।
5. यह कि प्रार्थना पत्र का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने प्रतिवादीगण को दिनांक 25.2024 को उक्त भूमि में रास्ता कायम करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने मना कर दिया तब से आज दिनांक तक जारी है।
6. अंत में निवेदन किया की ग्राम सुखवाड़ा, पटवार हल्का साकरिया खेडी, तहसील मावली में स्थित वादीगण की खातेदारी कृषि भूमि आराजी संख्या 256 में प्रवेश हेतु आराजी संख्या 236, 239 व खसरा संख्या 246 चरागाह सरकारी भूमि में नियमानुसार रास्ता राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस में अंकित किया जावे। नक्शा ट्रेस में दर्शित दक्षिण दिशा की तरफ पूर्व से पश्चिम लगभग 100 फीट लम्बाई मे व उत्तर से दक्षिण लगभग 30 फीट बिलानाम सरकारी रास्ता कायम किया जावे। उक्त रास्ते का नक्शा ट्रेस व रेकर्ड मे इन्द्राज कराने हेतु पटवारी हल्का के नाम आदेश प्रदान कराया जावे उपर वर्णित अनुसार रास्ता सुरक्षित रखाया जाने का आदेश प्रदान किये जाने की कृपा करें।
7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की एक सहखातेदार अमरा पिता हीमा और भी है जिसका निधन हो चुका है और उसकी विधिक वारिस पुत्री परथी पत्नी भज्जा गाडरी उम्र वयस्क, निवासी साकरियाखेड़ी, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०) है और अमरा के हिस्से की कृषि भूमि का उपयोग परथी द्वारा ही किया जा रहा है जिसका ज्ञान प्रार्थीगण को है फिर भी प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर उक्त मामले में मृतक खातेदार अमरा की वारिस पुत्री परथी को पक्षकार नहीं बनाया हैं। प्रार्थीगण के बताये अनुसार कभी भी आराजी नम्बर 246, 239, 2[illegible] की [illegible] पाली या भू भाग पर कभी कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

रास्ता नही रहा है, न ही रास्ते के कोई निशानात मौके पर मौजूद है बल्कि उक्त आराजी नम्बर 239, 236 हम विपक्षीगण के खातेदारी अधिकार की है जो कि हमारी बापोती की होकर पीढी दर पीढी हमारे एवं हमारे परिजनों के उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं तथा आराजी नम्बर 246 चरनोट भूमि है। इस प्रकार प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक आवागमन करने के लिये हम विपक्षीगण की कृषि भूमि में कभी कोई रास्ता नही रहा है और न ही वर्तमान में रास्ता मौजूद है और न ही प्रार्थीगण उनकी कृषि भूमि तक हमारी जमीन में से होकर आये गये है और न ही हमारी जमीन में कोई रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज रहा है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र हम विपक्षीगण को तंग प्रताड़ित करने की मंशा से इस तरह के मिथ्या व मनगढन्त कथन अंकित करके यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी में आने जाने के लिये रास्ता प्रार्थीगण की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 256 के उत्तरी दिशा की और स्थित आराजी नम्बर 257, 258, 260 की पूर्वी पाली पर पर्याप्त चौड़ाई में रास्ता बना हुआ है जो रास्ता मुख्य रास्ते (आराजी नम्बर 174 किस्म चरनोट) से लगता हुआ होकर प्रार्थीगण की आराजी नम्बर 257 के दक्षिणी सीमा के सटमा तक है और इस रास्ते से होकर ही प्रार्थीगण एवं इनके पूर्वज अपनी उक्त कृषि भूमियों में प्रारम्भ से ही आते जाते रहे है तथा अभी भी प्रार्थीगण इसी रास्ते से होकर उनकी कृषि भूमि पर काश्त हेतु जा–आ रहे है और पुराने राजस्व नक्शे में भी इसे रास्ते के रूप में दर्शाया हुआ है। न्यायालय द्वारा तहसीलदार मावली से रास्ते बाबत् मंगवाई गई बिन्दुवार रिपोर्ट में पटवारी द्वारा विपक्षी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी नम्बर 178 एवं विपक्षी संख्या 2, 3 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 177 के उत्तर पूर्व के भू भाग पर रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो कि मनमाने ढंग से प्रस्तावित किया गया है क्योंकि पटवारी को भी यह ज्ञात है कि प्रार्थीगण न तो प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार रास्ते से आवागमन करते है, न ही प्रस्तावित रास्ते से आवागमन करते है बल्कि प्रार्थीगण उनकी भूमि के उत्तरी पड़ौस में स्थित भूमियों में बने रास्ते से होकर अपनी भूमि पर आवागमन करते है फिर भी पटवारी द्वारा जानबुझकर इस तथ्य के बारे में कोई उल्लेख बिन्दुवार रिपोर्ट में नही किया गया हैं। जबकि पटवारी को यह भी दर्शाया जाना चाहिए था कि वर्तमान में प्रार्थीगण किस रास्ते से होकर अपनी कृषि भूमि पर पहुँच रहे है अर्थात आवागमन कर रहे है। ऐसी परिस्थितियों में पटवारी द्वारा बनाई गई बिन्दुवार रिपोर्ट अपनी निष्पक्षता पर निश्चित रूप से संदेह उत्पन्न करती है।

8. यह कि बिन्दुवार रिपोर्ट में 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। जबकि कृषि कार्य के लिये अथवा कृषि से संबंधित संसाधनों को लाने ले जाने के लिये इतनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

चौड़ाई में रास्ते की कोई जरूरत नही होती है। प्रत्येक काश्तकार अपने खेतो में ट्रेक्टर या ज्यादा से ज्यादा ट्रक ले जाता है तथा ट्रक ट्रेक्टर के लिये 12 से 15 फीट की चौड़ाई का रास्ता ही पर्याप्त से अधिक हो जाता है। इससे भी यह रिपोर्ट अपनी विश्वसनीय खो देती हैं। प्रार्थीगण को रास्ते की जरूरत है और न्यूनतम दूरी वाला रास्ता बिन्दुवार रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार ही है तो न्यायालय से विकल्प में अनुरोध है कि इस रास्ते की प्रथमतः चौड़ाई 12 से 15 फीट रखाई जावें और इस रास्ते की कीमत के बदले प्रार्थी संख्या 1, 2 की सहखातेदारी की आराजी नम्बर 257 के उत्तरी भू भाग पर इतनी चौड़ाई (12 से 15 फीट) में इस आराजी के पूर्वी सीमा से लगाकर पश्चिमी सीमा तक की भूमि हम विपक्षीगण को रास्ते के रूप में प्रदान कराई जावें ताकि आराजी नम्बर 257 के पश्चिमी पड़ौस में स्थित हम विपक्षीगण हमारी अन्य कृषि भूमियों पर आवागमन करने में निर्बाध रूप से निरन्तरता बनाये रख सके। चूँकि आराजी नम्बर 257 के उत्तरी भू भाग पर सदीप से रास्ता बना हुआ है जिससे होकर हम व अन्य काश्तकार अपनी कृषि भूमियों पर आवागमन करते आये है और वर्तमान में कर रहे है इसी वजह से हमारी ओर से यह वैकल्पिक दाद माननीय न्यायालय से चाही जा रही हैं। माननीय न्यायालय रास्ते में जाने वाली जमीन की कीमत के बदले यदि हमें वैकल्पिक अनुतोष प्रदान कर देता हैं तो यह निश्चित रूप से व्यर्थ की मुकदमेबाजी को विराम देगा और हम गरीब काश्तकार के हित में मील का पत्थर साबित होगा।

9. यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या तीन में वर्णित कथन पूर्णतया गलत होकर अस्वीकार हैं। हम विपक्षीगण की जमीन में प्रार्थीगण की जमीन पर आने–जाने के लिये कभी कोई रास्ता मौजूद नही रहा है और न ही वर्तमान में है। हम विपक्षीगण निर्बाध रूप से हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते आये है और प्रतिवर्ष फसलो की बुवाई कर पैदावार प्राप्त करते आ रहे है। इस प्रकार हमारी भूमियों अर्थात प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार एवं पटवारी द्वारा बिन्दुवार रिपोर्ट में बताये अनुसार प्रार्थीगण का कोई रास्ता कभी भी नही रहा हैं बल्कि प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि पर आवागमन करने के लिये आराजी नम्बर 258, 260 की पूर्वी पाली पर रास्ता है जो मुख्य रास्ते के सटमा से शुरू होकर उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है जिस रास्ते का उपयोग कर प्रार्थीगण उनकी खातेदारी की भूमि पर जा आ रहे है तथा इनके पूर्वज भी इसी रास्ते से होकर उनकी कृषि भूमियों पर आवागमन करते थे। जब कोई रास्ता ही हमारी भूमि में नही है तो उससे होकर आने–जाने व बैल, बैलगाड़ी, मवेशी, ट्रेक्टर, कृषि यन्त्र लाने ले जाने हेतु उपयोग करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता हैं। प्रार्थीगण ने [illegible] तंग प्रताड़ित करने की नियत से झूठे

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

व बनावटी कथन अंकित कर यह मुकदमा आप न्यायालय में किया। जबकि प्रार्थीगण की जमीन में आने–जाने के लिये पृथक से रास्ता बना हुआ है और प्रार्थीगण इसी रास्ते का नियमित रूप से उपयोग कर रहे हैं और अपनी जमीन का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण हमारी जाति के सदस्य अवश्य है लेकिन हमारे पूर्वजों का एवं प्रार्थीगण के पूर्वजों का कोई खूनी रिश्ता नही रहा है अर्थात हम न तो इनके पूरक है, न ही इनके पर्याय है। यदि ये हमारे भाईबन्धु होते या हमारे पूर्वज एक ही होते ही यह माना जाना सम्भव होता है कि प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार रास्ते से आवागमन करते आये हैं। लेकिन हमारे पूर्वज एक नही थे इसलिये प्रार्थीगण या इनके पूर्वजो ने कभी भी प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार रास्ते से आवागमन नही किया, न ही वर्तमान में आवागमन कर रहे हैं, न ही ऐसा कोई रास्ता कभी रहा हैं।

10. यह कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि तक पहुँचने के लिये अलग रास्ता मौजूद है जो कि आराजी नम्बर 258, 260 के पूर्वी भू भाग पर है जिसका प्रार्थीगण आज भी उपयोग करते आ रहे है और इसके बारे में हमने पटवारी को भी बताया लेकिन पटवारीजी न जाने किस प्रभाव एवं दबाव के चलते बिन्दुवार रिपोर्ट में इस रास्ते का वर्णन करना ही भूल गये। प्रार्थीगण आज भी अपनी कृषि भूमियों पर आवागमन कर रहे है और उन्हें रास्ता नही चाहिए केवल मात्र हम गरीब काश्तकारों को तंग प्रताड़ित करने की नियत से यह मनगढन्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। जबकि यदि प्रार्थीगण ने उनके प्रार्थना पत्र में बताये अनुसार रास्ते से कभी भी आवागमन किया होता तो वे निश्चित रूप से बिन्दुवार रिपोर्ट में प्रथमतः उसी रास्ते के बारे में विस्तृत कथन अंकित कराते किन्तु उपरोक्तानुसार कभी रास्ता रहा ही नहीं था इसलिये प्रार्थीगण ने इस बात पर कोई जोर नही दिया और पटवारी द्वारा भी बड़ी चतुराई से अपनी रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया कि यह रास्ता न्यूनतम दूरी वाला नहीं है परन्तु इसके अलावा रास्ते के बारे में एक शब्द भी रिपोर्ट में अंकित नही किया हैं। प्रार्थीगण जानबुझकर हमारी बहुमुल्य, उपजाऊ कृषि भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लेना चाहते है और हम विपक्षीगण को हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि से बलपूर्वक वंचित करना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण झगड़ालु प्रवृति के है जबकि हम विपक्षीगण साधारण परिवार के होकर सीधे सादे लोग है और हम विपक्षीगण हर समय प्रार्थीगण से आतंकित रहते है क्योंकि प्रार्थीगण हमारे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय वारदात कर जानमाल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे तो हमारी भूमियों पर कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही रहा है किन्तु उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में बिन्दुवार रिपोर्ट अनुसार न्यूनतम दूरी वाला जो रास्ता बताया गया है, हमारे द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

करते हूवे प्रार्थीगण को प्रदान किया जावें तो हम विपक्षीगण को प्रार्थीगण से ज्यादा निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति होगी और यही प्रार्थना एवं आशा हम माननीय न्यायालय से करते हैं।

11. यह कि प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने के लिये पर्याप्त एवं सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध होकर चालु अवस्था में हैं जो रास्ता आराजी नम्बर 258, 260 की पूर्वी पाली पर है और सदीप से यही रास्ता प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने के लिये रहा है जो रास्ता पूर्व के राजस्व नक्शे में भी चिन्ह के रूप में दर्शित हैं और इससे होकर ही प्रार्थीगण व इनके पूर्वज अपनी जमीनों में आते जाते रहे है और अंकित कराते किन्तु उपरोक्तानुसार कभी रास्ता रहा ही नहीं था इसलिये प्रार्थीगण ने इस बात पर कोई जोर नही दिया और पटवारी द्वारा भी बड़ी चतुराई से अपनी रिपोर्ट में यह अंकित कर दिया कि यह रास्ता न्यूनतम दूरी वाला नही है परन्तु इसके अलावा रास्ते के बारे में एक शब्द भी रिपोर्ट में अंकित नही किया हैं। प्रार्थीगण जानबुझकर हमारी बहुमुल्य, उपजाऊ कृषि भूमि को रास्ते के रूप में उपयोग में लेना चाहते है और हम विपक्षीगण को हमारी उक्त वर्णित कृषि भूमि से बलपूर्वक वंचित करना चाहते है। जबकि प्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नही है। प्रार्थीगण झगड़ालु प्रवृति के है जबकि हम विपक्षीगण साधारण परिवार के होकर सीधे सादे लोग है और हम विपक्षीगण हर समय प्रार्थीगण से आतंकित रहते है क्योंकि प्रार्थीगण हमारे साथ कभी भी कोई भी अप्रिय वारदात कर जानमाल को नुकसान पहुँचा सकते हैं। वैसे तो हमारी भूमियों पर कोई रास्ता प्रार्थीगण का नही रहा है किन्तु न्याय के परिप्रेक्ष्य में बिन्दुवार रिपोर्ट अनुसार न्यूनतम दूरी वाला जो रास्ता बताया गया है वह हमारे द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान करते हूवे प्रार्थीगण को प्रदान किया जावें तो हम विपक्षीगण को प्रार्थीगण से ज्यादा निष्पक्ष न्याय की प्राप्ति होगी। ऐसी अवस्था में प्रार्थीगण हमारी जमीन में किसी भी प्रकार का नया रास्ता कायम कराने के अधिकारी नही हैं। परन्तु बिन्दुवार रिपोर्ट को माननीय न्यायालय द्वारा प्राथमिकता में रखकर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध कराया जाता है तो इस रास्ते के बदले हम विपक्षीगण को वैकल्पिक अनुतोष जो हमने ऊपर वर्णित किया गया है, हमें प्रदान कराया जाकर हमें राहत प्रदान कराया जावें।

12. अन्त में निवेदन किया की प्रार्थीगण की प्रार्थना है जो गलत होकर अस्वीकार है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण के विरूद्ध गलत एवं मिथ्या तथ्यों पर आधारित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो सव्यय खारिज होने योग्य है। विकल्प में अनुरोध है कि बिन्दुवार रिपोर्ट में अंकित अनुसार न्यूनतम दूरी वाला रास्ता है तो इस रास्ते की प्रथमतः चौड़ाई 12 से 15 फीट रखाई जावें और इस [illegible] कीमत के बदले प्रार्थी संख्या 1, 2 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारी की आराजी नम्बर 257 के उत्तरी भू भाग पर इतनी चौड़ाई (12 से 15 फीट) में इस आराजी के पूर्वी सीमा से लगाकर पश्चिमी सीमा तक की भूमि रास्ते के रूप में हम विपक्षीगण को प्रदान कराई जावें और इस भू भाग को रास्ते के रूप में रेवेन्यु रेकार्ड में अंकित कराया जायें ताकि आराजी नम्बर 257 के पश्चिमी पड़ौस में स्थित हम विपक्षीगण हमारी कृषि भूमियों पर आवागमन करने में निर्बाध रूप से निरन्तरता बनाये रख सके और हम विपक्षीगण को किसी भी प्रकार की व्यर्थ की परेशानीयों का सामना न करना पड़े।

13. तहसीलदार मावली से रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार मावली के अनुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार मौजा सुखवाडा के खसरा संख्या 256 रकबा 0.3076 हेक्टेयर भूमि खातेदार अमरा पुत्र हीमा उर्फ देवा 1/3, उदा पुत्र किसना 1/9 खुमाणीबाई पत्नी किसना 1/9, गंगा पुत्री किसना 1/9. पूरा पुत्र हीमा उर्फ देवा 1/3, जाति गाडरी सा. देह के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज रिकार्ड जिसकी उत्तर दिशा की तरफ खसरा सख्या 257 रकबा 0.3237 हेक्टेयर भी आवेदक उदा पुत्र किसना उर्फ कना 1/2, पुरा पुत्र हेमा 1/2 गाडरी के नाम सहखातेदारी के रूप में दर्ज है। खसरा संख्या 256 में जाने हेतु कोई भी बिलानाम रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः आवेदक द्वारा खसरा संख्या 236, 239, 246 में से रास्ता चाहा गया है परन्तु मौके पर यह रास्ता न्यूनतम दूरी वाला नहीं है। अतः न्यूनतम दूरी वाला रास्ता खसरा संख्या 177, 178 में से 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रस्तावित किया गया है जो कि मौका व रिकार्ड अनुसार न्यूनतम दूरी वाला होकर बिलानाम रास्ता खसरा संख्या 173 से जुडा हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा संख्या 177 रकबा 0.1942 हेक्टेयर किस्म खाडी प्रथम खातेदार लच्छीराम पुत्र लेहरू 1/2 गाडरी हुडी पत्नी लेहरू 1/2 गाडरी के नाम एवं खसरा संख्या 178 रकबा 0.1133 हेक्टेयर किस्म खादी प्रथम, बीड खतेदार उदा पुत्र हेमा गाडरी हिस्सा पूर्ण के नाम दर्ज रिकार्ड है। प्रस्तावित रास्ते में जाने वाली भूमि का रकबा खसरा संख्या 177 रकबा 0.1942 हेक्टेयर किस्म खाड़ी प्रथम में से 0.0208 हेक्टेयर एवं खसरा संख्या 178 रकचा 0.1133 हेक्टेयर किस्म खादी प्रथम, बीड़ में से 0.0476 हेक्टेयर है। प्रस्तावित रास्ता 9 मीटर चौड़ा है। उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी वाला होकर अपनी खातेदारी भूमि में जाने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य न्यूनतम दूरी वाला रास्ता उपलब्ध नहीं हो सकता है। प्रस्तावित भूमि की गूल्यांकन रिपोर्ट पृथक से संलग्न है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ रिपोर्ट मय भू अभिलेख निरीक्षक नान्दवेल एवं तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट संलग्न की गई। तहसील राजस्व लेखाकार की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

तहसील मावली की आराजी संख्या 177 रकबा 0.1942 हैक्टेयर में से 0.0208 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 178 रकबा 0.1133 में से 0.0476 हैक्टेयर भूमि किता–2 कुल रकबा 0.0684 हैक्टेयर की डीएलसी 1378000 रुपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 684 वर्गमीटर के 94256 रुपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 188512 रुपये बनती है। अतः जमा योग्य राशि 188512 रुपये है।

14. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया एवं अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

15. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। न्यायालय का निष्कर्ष है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए अनुसार नवीन रास्ता स्वीकृत करने से पहले यह समाधान होना आवश्यक है कि प्रार्थी की भूमि पर पहुंचने के लिये कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है साथ ही नवीन रास्ता निकालने/चौड़ा करने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) होनी चाहिये, न कि केवल सुविधाजनक स्थिति के लिये और द्वितीय यह कि विशेषकर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का साकरियाखेडी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 156 पर दर्ज आराजी नम्बर 256 रकबा 0.3076 हेक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के नाम सहखातेदारी अधिकार से दर्ज है। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि पर जाने के लिए कोई रास्ता नही है। विपक्षी संख्या 1 से 3 का कथन है कि तहसीलदार मावली द्वारा प्रस्तावित रास्ते से प्रार्थीगण द्वारा कभी आवागमन नही किया गया, इस कारण से प्रार्थीगण को उक्त रास्ता नही दिया जा सकता है। यदि न्यायालय द्वारा उक्त रास्ता दिया जाता है तो विपक्षीगण की भूमि पर भी आने जाने का रास्ता उपलब्ध करवाया जावे। न्यायालय इन कथनो से संतुष्ट नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के तहत निकटतम रास्ता उपलब्ध करवाने का प्रावधान है उससे होकर खातेदार का आवागमन चाहे नही रहा हो। साथ ही यदि विपक्षीगण को भी अपनी भूमि पर आने जाने हेतु यदि रास्ते की आवश्यकता है तो उसके लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है। विपक्षीगण का यह भी कथन है कि सहखातेदार उनका पिता हीमा का निधन हो चुका है जिसके वारिस को पक्षकार नही बनाया गया। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

कि सहखातेदार अमरा की पुत्री द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा.दी. प्रस्तुत किया जिससे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर प्रार्थीया के रूप में पक्षकार जोड़ा जा चुका है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि सार्वजनिक रास्ते एवं प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी नम्बर 256 के मध्य विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी नम्बर 177, 178 स्थित हैं। इस प्रकार प्रार्थी को अपनी आराजीयात पर जाने के लिए कोई और रास्ता नही होकर सहज एवं सुलभ रास्ता विपक्षी संख्या 1 से 3 की आराजी नम्बर 177, 178 में से होकर जाता हैं। तहसीलदार मावली एवं भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार निकटतम रास्ता ही दिया जा सकता हैं। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित निकटतम रास्ते का रकबा 0.0684 हैक्टेयर भूमि बनती है। प्रार्थीगण उक्त रास्ते की नियमानुसार राशि प्रदान कर रास्ता कायम करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता चाहने की आत्यन्तिक आवश्यकता (Absolute Necessity) प्रतीत होती है। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए एवं राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांक प. 13(52)राज–6/12/4 दिनांक 14.06.2013 के अनुसार यदि आवेदक को मार्ग की आवश्यकता है एवं खातेदार को उसकी जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है तो उक्त स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 2 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि दरों का दुगुना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जावे। ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का साकरिया खेडी तहसील मावली की आराजी संख्या 177 रकबा 0.1942 हैक्टेयर में से 0.0208 हैक्टेयर तथा आराजी संख्या 178 रकबा 0.1133 में से 0.0476 हैक्टेयर भूमि किता–2 कुल रकबा 0.0684 हैक्टेयर की डीएलसी 1378000 रुपये प्रति हैक्टेयर से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 684 वर्गमीटर के 94256 रुपये बनते है तथा डीएलसी दर की दुगुनी दर से राशि 188512 रुपये बनती है। उक्त राशि प्रार्थीगण से वसूल कर विपक्षी संख्या 1 से 3 को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश [illegible] ते है कि ग्राम सुखवाडा पटवार हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested

साकरियाखेड़ी तहसील मावली की आराजी नम्बर 177 रकबा 0.1942 हैक्टेयर भूमि में से 0.0208 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 178 रकबा 0.1133 हैक्टेयर में से 0.476 हैक्टेयर अर्थात् कुल रास्ते में प्रयुक्त होने वाली 684 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शायी गई है को बिलानाम गै.मु.रास्ता घोषित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार मावली को आदेश दिए जाते है कि उक्त रास्ते हेतु प्रयुक्त भूमि की कुल कीमत का दुगुना 1,88,512/– रूपयें अक्षरे एक लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ बारह रूपयें राशि प्रार्थी से वसूल कर नियमानुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को क्षतिपूर्ति के रूप में उनके हिस्से अनुसार देने के पश्चात् ही इस भूमि को राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें। वर्तमान खातेदार द्वारा उक्त राशि नहीं लेने पर नियमानुसार राजकोष में जमा की जावें। इस रास्तें पर प्रार्थीगण का कोई खातेदारी अधिकार नहीं रहेगा, केवल आने जानें हेतु उपयोग कर सकेगा। मौके पर रास्ता कायम कर सार्वजनिक रूप से उपयोग उपभोग हेतु खुला रखा जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर (SDO)
मावली, जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:33 IST
Reason: SelfAttested